संख्या-27/2017/662/33-3-2017-46/2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।
2- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 12 अप्रैल, 2017

विषय:- ग्राम पंचायतों में स्थापित इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की मरम्मत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1792/33-3-2013-162/2012 दिनांक 24.06.2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गर्मी के मौसम में प्रदेश के समस्त जनपदों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु ग्राम स्तर पर स्थापित इण्डिया मार्का हैण्डपम्प का सुचारू रूप से क्रियाशील होना अति आवश्यक है। केन्द्रीय (14वां) वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की ग्राम पंचायतों को अंतरित धनराशि को व्यय किए जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में हैण्डपम्पों का मरम्मत कराया जाना भी सम्मिलित है। प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं रख रखाव के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 24.06.2013 द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि हैण्डपम्पों में अस्थायी खराबी को दूर करने हेतु ग्राम पंचायतें उत्तरदायी हैं। यह सुनिश्चित किया जाय कि हैण्डपम्पों में अस्थायी खराबी की मरम्मत हैण्डपम्प खराब होने के तीन दिन के अन्दर करा ली जाय। यदि कोई भी हैण्डपम्प सात दिन से अधिक समय तक खराब रहता है तो संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

अतः अनुरोध है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

http://shasnadeshup.nic.in

2- निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5- समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0) उ0प्र0।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in